न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 10 सन 2019
अनवान :–

1. रोशनी पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।
2. सोना पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।

बनाम

1. बृजलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 17.01.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 160 / 131 की कुल 6.5780हैक भूमि जो पूर्व में वादी के दादा हरदयाल के नाम से दर्ज थी। वादी के दादा हरदयाल के देहान्त होने के बाद बिरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से रोही मौजा चक आरपीएम की कुल 6.5780हैक भूमि सयुक्त तौर से 162.33–1 / 6 हिस्सा दर्ज हुई है। बिरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादीया का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीयान का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद बिरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादीयान का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरदयाल के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात बिरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम् की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादीयान का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाहमी बटवारा होने पर वाद भूमि वादीयान को प्राप्त हुई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है वादीयान के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवदेन किया की वाद भूमि वादीयान के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम कुल 6.5780हैक्ट भूमि सयुक्त तौर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 162.33–1/6 हिस्से में वादीयान 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official